रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 1987/ज्येष्ठ 13, 1909
No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 1987/JYAISTHA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं 185 आई टी. सी. (पी. एन.)/85-88

नई दिल्ली, 3 जून, 1987

विषय :—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा. स. 3/92/85-ई. पी. सी. :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई. टी. सी. (पी. एन.)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	238	परिशिष्ट—17 क्रम संख्या क-51 (3) कालम संख्या—4	वर्तमान विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "(क) फाइलों के बनाने के लिए कार्बन/मिश्र धातु इस्पात में प्रोफाइल/बारस तथा राड्स"
(2)	241	परिशिष्ट—17 क्रम संख्या क.87 कालम संख्या—4	कालम संख्या (4) में वर्तमान मद संख्या (ख) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(ग) कोल्ड रोल्ड हाई कार्बन (कार्बन 0.6% तथा उससे अधिक वजन का) स्टील स्ट्रिप्स"।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2—आई. टी. सी. (पी. एन.)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अधीन प्रकाशित यथा संशोधित आयात निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उक्त प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर निम्न प्रकार से किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	63	अध्याय—14	वर्तमान पैरे 337 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :— "निर्यातों के मूल बैंक प्रमाण-पत्र का खोया जाना 337क. (1) निर्यातों के मूल बैंक प्रमाण-पत्र के खोए जाने पर पंजीकृत निर्यातकों के आर ई पी लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर उन सम्बद्ध लाइसेंसिंग कार्यालयों द्वारा विचार किया जाएगा जिनका प्रधान संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के स्तर से कम का अधिकारी न हो और जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर कम्पनी/फर्म का पंजीकृत/प्रधान कार्यालय स्थित हो यदि पात्र आवेदक का कार्यालय, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से कम के स्तर के अधिकारी के लाइसेंसिंग कार्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर आता हो तो आवेदन-पत्र सीधे ही सम्बद्ध क्षेत्रीय संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के कार्यालय को भेजे जाएंगे परन्तु आवेदन की एक अतिरिक्त प्रति इस उप/सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजी जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता हो। ऐसे आवेदन-पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाएंगे : — (i) पोत परिवहन बिल की ई पी प्रति, (ii) मूल रूप में सभी निर्धारित दस्तावेज, (iii) सम्बन्धित बैंक द्वारा खोए गए मूल के बदले में जारी किए गए "निर्यात के बैंक प्रमाण पत्र" की अनुलिपि प्रति, (iv) मूल बैंक प्रमाण पत्र खो जाने के बारे में और यह वायदा करने के बारे में कि यदि बाद में यह मिल गया तो उसे सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा निर्यातक द्वारा एक शपथ पत्र, और (v) इस बारे में निर्यातक द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धपत्र की यह खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के मद्दे जारी किए गए आर ई पी लाइसेंसों के कारण यदि कोई वित्तीय नुकसान हो गया है तो वह उसको रुपए में क्षतिपूर्ति करेगा। (2) इस पुस्तक के पैरा 322 और 323 के प्रावधानों के बावजूद भी खोए हुए मूल बैंक प्रमाण-पत्र के मद्दे दावे, निर्यातों की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे। छः महीने की उपर्युक्त अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। (3) ऐसे सभी मामलों में, लाइसेंस प्राधिकारी निर्यातों के मूल बैंक प्रमाण पत्र के खो जाने पर आई ई पी हकदारी पर 10 प्रतिशत कटौती लगाएंगे। यह 10 प्रतिशत की कटौती अन्य निर्धारित कटौतियों के अतिरिक्त होगी।"

4. आयात एवं निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) और आयात निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

हस्ताक्षरित
राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

प्रतिभा मोहन,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 185-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 3rd June, 1987

Subject : Import & Export Policy for April 1985–March 1988

F. No. 3/92/85-EPC:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1985-88 (Vol. I)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	238	Appendix-17 Sl. No. A. 51 (iii) Column No. 4	The existing description shall be amended as under : "(a) Profiles/Bars and Rods in Carbon/Alloy Steel for manufacture of files."
(2)	241	Appendix-17 Sl. No. A.87 Column No. 4	In column No. 4, after the existing item (b) the following shall be added : "(c) Cold Rolled High Carbon (Carbon 0.6% and above by weight) Steel Strips."

3. Attention is also invited to the Handbook of Import-Export Procedures, 1985-88 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended. The following amendments shall be made in the said Hand-Book at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Hand-Book of Import-Export Procedures, 1985-88	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	63	Chapter-XIV	After the existing para 337, the following new para shall be added : "LOSS OF ORIGINAL BANK CERTIFICATE OF EXPORTS 337A. (1) In the case of loss of original Bank certificate of exports, applications for grant of REP licences may be considered from the registered exporters by the concerned licensing offices which is headed by an officer not below the rank of a Joint Chief Controller of Imports and Exports within whose jurisdiction the registered/ head office of the company/ firm is located. In case the office of the eligible applicant falls within the jurisdiction of a licensing office which is headed by an officer below the rank of Joint Chief Controller of Imports & Exports, the application shall be made directly to the concerned Zonal JCCI&E but one additional copy may be sent to the Dy./Asstt. CCI&E in whose jurisdiction the applicant falls. Such applications shall be accompanied by the following documents :— (i) E.P. Copy of the Shipping Bill; (ii) All the prescribed documents in original; (iii) Duplicate copy of the 'Bank Certificate of Export' issued in lieu of the original lost, by the concerned bank; (iv) An affidavit by the exporter about loss of original bank certificate and promising that the same would be surrendered to the concerned licencing authority in case the same is subsequently found; and (v) An indemnity bond by the exporter to the effect that he would indemnify the Govt. for the financial loss, in rupees if any, on account of REP licences issued against the lost bank certificate. (2) Notwithstanding the provisions of para 322 and 323 of this Book, the claims against the lost original bank certificate shall be preferred within a period of six months from the date of exports. Applications received after the said period of six months will be rejected.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(3) In all such cases the licensing authorities will impose a 10% cut on REP entitlement for loss of original Bank Certificate of exports. This 10% cut will be in addition to the other prescribed cuts."

4. The above amendments in the Import & Export Policy, 1985-88 (Vol. I) and the Handbook of Import-Export Procedures, 1985-88 have been made in Public interest.

R. L. MISRA,
Chief Controller of Imports & Exports

P. MOHAN, Dy. Chief Controller or Imports & Exports
For Chief Controller or Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGLR, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987